Statement

List of Government Servants under Suspension Whose Cases Are Pending in Court.

Name of Deptt.	Name and Designation of the Govt servant,	FIR No. and date and Police Station	Date of suspension	Date of Challan.	Whether suspended by the Department it self or at the instance of Vig.	Present position of the Case	Whether or not the permission of council of Minister has been obtained for continue suspension of Govt. servant in accordance with the Govt. Instr.. if not the reason there of
1		3	4	5	6	7	8

पत्र क्रमांक 11/25/80-2 जी0एस0 III

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
चण्डीगढ़ ।

सेवा में

1. हरियाणा सरकार, के सभी विभागाध्यक्ष,
2. आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मंडल
3. राज्य के सभी उपायुक्त हरियाणा ।

दिनांक, चण्डीगढ़ 5 दिसम्बर, 1986,

विषय :— निलम्बित कर्मचारियों के केसों का शीघ्रता से निपटान करने बारे हिदायतें-18 मास से अधिक अवधि से निलम्बित कर्मचारियों की सूची मुख्य मंत्री महोदय को प्रस्तुत करने बारे ।

महोदय,

मुझे निर्देश हुआ है कि आप का ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 2/12/2 जी0 एस0 III, दिनांक 2.4.80 तथा 2/12/79-2 जी0एस0 III, दिनांक 5.9.80 की ओर दिलाऊँ जिस द्वारा मास 18 से अधिक निलम्बित सरकारी कर्मचारियों के बारे मासिक सूचना इस विभाग को भेजी जानी होती है । यह बात ध्यान में आई है कि सरकार की ओर से समय-समय पर दी गई हिदायतों के अनुसार बहुधा विभाग अपेक्षित रिपोर्ट नहीं भेजते ।

2. सरकार निलम्बित कर्मचारियों का ज्यादा समय तक निलम्बित रखना एक गंभीर मामला समझती है और और चाहती है कि उनके विरुद्ध हो रही अनुशासनिक कार्यवाही का निपटान शीघ्र हो । इस स्थिति में आप से अनुरोध है कि सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतों की दृढ़तापूर्वक परिपालना की जाए तथा अपेक्षित रिपोर्ट इस विभाग को निर्धारित तिथि तक भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए।

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:—

1. वित्तायुक्त राजस्व एवं
2. हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव

कृपया यह सुनिश्चित किया जाये कि उनके अधीन सभी विभाग इस विषय से संबन्धित रिपोर्ट सामान्य प्रशासन विभाग को निर्धारित तिथि तक अवश्य भेज दें ।

अवर सचिव सामान्य प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. वित्तायुक्त राजस्व तथा